



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 6]

नई दिल्ली, फरवरी 5—फरवरी 11, 2017, शनिवार/ माघ 16—माघ 22, 1938

No. 6]

NEW DELHI, FEBRUARY 5—FEBRUARY 11, 2017, SATURDAY/MAGHA 16—MAGHA 22, 1938

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं
Statutory Orders and Notifications Issued by the Ministries of the Government of India
(Other than the Ministry of Defence)

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2017

का.आ. 280.—केन्द्र सरकार, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का अधिनियम सं. 25) की धारा 6 के साथ पठित धारा 5 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा राज्य सरकार, गृह विभाग, चंडीगढ़ के दिनांक 22.12.2016 के आदेश सं. 58/17/2016-1 VII द्वारा दी गई सहमति से एतद्वारा भारतीय दंड संहिता 1860 (1860 का अधिनियम सं. 45) की धाराओं 409, 420, 120-बी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम 49) 13 (1) (घ) के अंतर्गत दिनांक 05.05.2016 को राज्य सर्तकता ब्यूरो पंचकुला, जिला पंचकुला, हरियाणा में दर्ज की गई प्राथमिकी सं. 03 तथा उपर्युक्त अपराधों के संबंध में अथवा उससे संबंधित प्रयासों, दुष्प्रेरणों तथा षडयंत्रों तथा अन्य कोई अपराध अथवा उस व्यवहार अथवा उन तथ्यों से उत्पन्न होने वाले अपराधों का अन्वेषण करने के लिए दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन के सदस्यों की शक्तियों एवं क्षेत्राधिकार का विस्तार संपूर्ण हरियाणा राज्य पर करती है।

[फा. सं. 228/01/2017-एवीडी-II]

एस. पी. आर. त्रिपाठी, अवर सचिव

नई दिल्ली, 31 जनवरी, 2017

का.आ. 297.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा 1 फरवरी, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसे उक्त अधिनियम के अध्याय IV (धारा 44 व 45 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है) तथा अध्याय V और VI [धारा 76 की उप-धारा (1) और धारा 77, 78, 79 और 81 के सिवाय जो पहले ही प्रवृत्त की जा चुकी है] के उपबंध (गांवों जो पहले से ही सूचित कर दिया गया और लागू किया है को छोड़कर) केरल राज्य के निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रवृत्त होंगे, अर्थात् :—

क्र.स.	जिला/क्षेत्र	क्र.स.	जिला/क्षेत्र
1.	तिरुवनंतपुरम	8.	त्रिशूर
2.	कोल्लम	9.	पालक्काड
3.	पत्तनतिट्टा	10.	मलप्पुरम
4.	आलप्पुशा	11.	कोझिकोड
5.	इडुक्की	12.	कन्नूर
6.	कोट्टयम	13.	वयनाड
7.	एर्नाकुलम	14.	कासरगोड

[सं. एस-38013/04/2017-एस.एस.-I]

अजय मलिक, अवर सचिव

New Delhi, the 31st January, 2017

S.O. 297.—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948) the Central Government hereby appoints the 1st February, 2017 as the date on which the provisions of Chapter-IV (except Sections 44 and 45 which have already been brought into force) and Chapter-V and VI [except sub-section (1) of Section 76 and Sections 77, 78, 79 and 81 which have already been brought into force] of the said Act shall come into force in the following District in the State of Kerala namely :—

Sl.No.	District/Area	Sl.No.	District/Area
1.	Thiruvananthapuram	8.	Thrissur
2.	Kollam	9.	Palakkad
3.	Pathanamthitta	10.	Malappuram
4.	Alappuzha	11.	Kozhikode
5.	Idukki	12.	Kannur
6.	Kottayam	13.	Wayanad
7.	Ernakulam	14.	Kasaragod

[No. S-38013/04/2017-S.S.-I]

AJAY MALIK, Under Secy.